सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 08, शुक्रवार, शाके 1944-सितम्बर 30, 2022 *Asvina 08, Friday , Saka 1944- September 30, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (पथ) राजस्थान जयपुर

(वृत्त टोंक)

अधिसूचना

टोंक, सितम्बर 30, 2022

(अन्तर्गत भूमि अर्जनए पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार बनास नदी टोंक पर कि.मी. 40/0 से 43/500 धोली कण्डीला कलमण्डा नानैर जंवाली गहलोद एम.डी.आर.–205 पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसकी स्वीकृति सी.आर.आई.एफ. योजना के तहत उप सचिव (रा.रा.) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, सरकार जयपुर के पत्रांक F.7(434)/ Sec.-II/ CRIF/2020-21/D-519 दिनांक 12.10.2020 द्वारा राशि रूपए 134.74 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें हाई लेवल ब्रिज एवं बनाए जाने है। एप्रोच रोड के लिए नदी के दोनो और भूमि अवाप्ति की जानी है, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गांव
1.	टोंक	पीपलू	गहलोद
2.	टोंक	टोंक	टोंक कस्बा

परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारित हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एम.डी.आर.–205 पर हाई लेवल ब्रिज के दोनो और एप्रोच रोड के लिए नदी के दोनो और भूमि अवाप्ति ग्राम गहलोद कस्बा टोंक का चयन किया जाना ह।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित गावों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निधारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्याक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों मे समचित सभा तत्पश्चात् प्रभावित गावों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जन जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाईके दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार की जावगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में सम्बन्धित पंचायत, नगर परिषद के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।
6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र :–
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड टोंक जिला टोंक
eetonk.pwd@rajasthan.gov.in

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड टोंक
दीन मोहम्मद
मो. 6377898354
अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण
विभाग खण्ड टोंक जिला टोंक
सर्किट हाउस रोड टोंक
eetonk.pwd@rajasthan.gov.in

सुनिल गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान जयपुरफ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।